

DR-19

05-7-21

कुल सचिव का कार्यालय

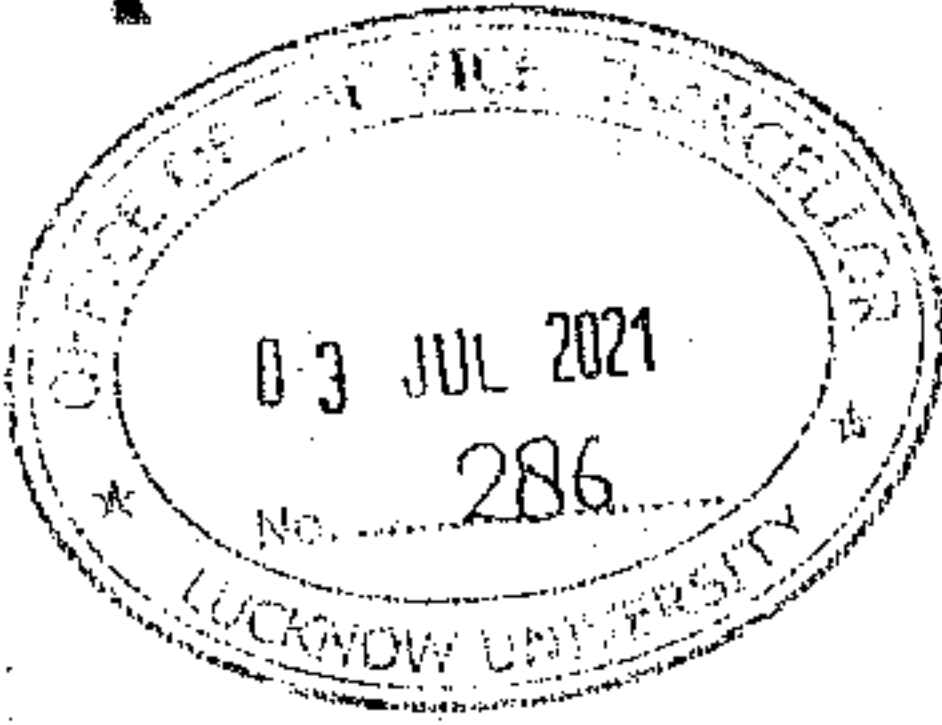
लखनऊ

संख्या 122

दिनांक 3-7-2021

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या : ई-4229/जी0एस0

दिनांक 02, जुलाई 2021

आदेश

प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया निर्धारण विषयक आदेश संख्या: ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 निर्गत किया गया है। इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की माह जून, 2021 में की गयी समीक्षा के दौरान इस आदेश पर विस्तृत चर्चा की गयी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो व्यवहारिक एवं विधिसम्मत सुझाव प्राप्त हुए, उसके आलोक में पूर्व पारित आदेश की व्यवस्थाओं में निम्नवत् आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है:-

अ-सहायक आचार्य:-

1. सहायक आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या-F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों की व्यवस्था के अनुसार गणना की जायेगी।
3. पूर्व आदेश में विभिन्न अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी (Domain Knowledge) के लिए 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गयी थी। उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना के अनुपात में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा अब 40 अंकों की होगी।
4. Table-3A के अनुसार स्कोर की गणना से प्राप्त अंक तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
5. गणना तथा लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार संशोधन/स्पष्टीकरण के साथ पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में संवीक्षा समिति, अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने तथा परीक्षा संचालन आदि सम्बन्धी शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।
6. उपरोक्तानुसार तैयार की गयी मेरिट लिस्ट से पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों की Short-listing की जायेगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

Short-listing के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्था के आलोक में Short-listed अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की कार्यवाही दो भागों में की जायेगी। प्रथम भाग में शिक्षण कौशल की जानकारी का परीक्षण किया जायेगा तथा द्वितीय भाग में साक्षात्कार

OAP I - Table - 3A

W.E-40-T

D.R.(T)

Reg
03/7/21

05-7

Regis/Dean RAE

M.L.

सम्पन्न कराया जायेगा। यह कार्यवाही पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न होगी।

ब-सह आचार्य एवं आचार्य:-

1. सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या-F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-2 में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार गणना उपरान्त एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
4. विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि काफी अधिक है तो कुलाधिपति के आदेश संख्या: ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार Short-listing की जायेगी तथा आगे की कार्यवाही उक्त आदेश दिनांक 18 मई, 2021 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

अन्य निर्देश

इस प्रकार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 2 से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिसकी वैधता अवधि परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

Anand P. Patel

(आनंदीबेन पटेल)

कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ०प्र० पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्र० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ०प्र० हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई०ई०टी० कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत-विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
39. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।